न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2020

आर.सी.एम.एस. : 2020/00095

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. ममतादेवी पुत्री लालाराम (पत्नी श्री चैनाराम चौधरी), जाति सिरवी, निवासी रानी कलां, हाल ठिकाना रूम नम्बर 452 शास्त्री नगर नम्बर 02 बस डिपो के पिछे, बान्द्रा वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र 400050

1. नरेश कुमार पुत्र लालाराम, जाति सिरवी, निवासी 1145 पुरोहितों का बास, रानीकलां, तहसील रानी, जिला पाली 306115
2. सुखी पत्नी लालाराम, जाति सिरवी, निवासी 1145 दुदावर मार्ग, रानीगांव, रानीकलां, तहसील रानी, जिला पाली, 306115
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी, तहसील रानी, जिला पाली
4. तहसीलदार देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 2 की ओर से उमेश चन्द्र सांखला

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08.12.21

अपीलाण्टगण की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम रानीकलां के नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 30.10.2001 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा 2 के अधिवक्ता ने राजीनामा पेश किया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस एवं अपने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम रानीकलां पटवार हल्का रानीकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानी तहसील रानी की सरहद में खसरा नम्बर 1025 रकबा 4.8500 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल, खसरा नम्बर 1026 रकबा 2.6000 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.0700 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

नम्बर 1173 रकबा 0.7700 हैक्टेयर किस्म जाव अव्वल, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.5300 हैक्टेयर किस्म रकबा 0.5200 चाही प्रथम एवं रकबा 0.0100 हैक्टैयर जाव अव्वल, खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.9900 हेक्टर चाही प्रथम रकबा 0.1800 हैक्टर जाव अव्वल खसरा नमबर 692 रकबा 1.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खसरा नमबर 693 रकबा 1.1400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 1.2400 हैक्टर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 850 रकबा 1.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि वादग्रस्त है। कुल रकबा 15.93 हैक्टेयर है। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के पिता लालाराम पुत्र हंसा जाति सिरवी निवासी रानी कलां सहित अन्य खातेदारों की सह खातेदारी भूमि होकर कब्जाकाश्त है। लालाराम के एक पुत्री अपीलाण्ट ममता एवं एक पुत्र रेस्पोडेण्ट नरेश है जो कि लालाराम के फौत हो जाने के बाद प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है एवं अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके विधिक वारिशान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन हल्का पटवारी ने विधिक वारिशान की जांच किए बिना, उन्हें नोटिस दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसमें अपीलाण्ट को छोड़कर अपीलाण्ट की माता एवं उनके भाई के नाम दर्ज किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। दिनांक 06.07.2020 को अपीलाण्टगण ग्राम रानीकलां में स्थित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर देख–रेख करने गयी, तो वहां पर रेस्पोडेण्टगण 01 व 02 कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ आया तथा जमीन को बेचाण करने बाबत कथन करने लगा, तो अपीलाण्टगण ने पहले नाप–चौक करने का कहा तो रेस्पोडेण्टगण 01 व 02 ने उक्त भूमि पर अपीलाण्टगण का अधिकार ना होने की बात कही। तब अपीलाण्टगण ने दिनांक 07.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 404 की प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की ओर अपना नाम नामान्तरकरण में नहीं होना पाया तो, बिना किसी प्रकार देरी किए अपील न्यायालय में पेश की, विधि विरूद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है, अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त यथा 2011(1) RRT page 432, 2013(2) RRT page 1284, 2013(2) RRT page 766, 2012(1) RRT page 150(sc), 2002 RBJ page 108, 1989 RRD page 45, 1994 RRD page 216 and 1994 RRD page 606 पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 2 ने वक्त बहस कथन किया कि समाज के गणमान्य व्यक्तियों एंव रिश्तेदारों की समझाइश एवं लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी एंव रेस्पोडेण्टगण के बीच राजीनामा हो गया है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 404 को निरस्त किया जाकर, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुनः विधिनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष

अति० जिला कलक्टर, पाली

2001 में दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अपीलाण्टगण के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस संबंध अधिवक्ता अपीलाण्ट ने RRD 1989 Page 45 लामुराम बनाम स्टेट में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 75-Order which is viod ab initio can be challenged at any time-Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred." and 2013(2) RRT page 1284 मांडीदेवी बनाम प्रहलाद में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 84 -Land not mutated in the name of the daughters of deceased 'B' Appeal filed by the daughters was dismissed-Daughters ate the heirs of Ist category & cannot be left arbitrarily - In such ex-parte order, limitation is not material-Petitioners cannot be compelled to file the suit for declaration-Sale of land is enforceable to the extent of 1/2 share of sons of deceased 'B'-Held Order set aside." जो पूर्णतया हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने राजीनामा पेश किया है अपीलाण्टगण के अलावा अन्य विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरते समय नामजद किये गये। जिसकी ताईद मूल नामान्तरकरण से होती है। हल्का पटवारी द्वारा किसी भी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने से पूर्व उसके समस्त विधिक वारिशान की जांच करनी चाहिए, उनको सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध अधिवक्ता अपीलाण्ट RRT 2011(1) page 432 सज्जन कंवर बनाम उच्छब कंवर में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि " The daughters are entitled to succeed to the lands of the deceased khatedar upon his death along with sons in case of non-testamentary succession." जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निर्वसीयती मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पति पर उसकी जीवित पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम वर्ग के हायद होते है तथा किसी हिन्दु पुरूष का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उसके समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 15 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम रानीकलां के नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 30.10.2001 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक लालाराम पुत्र हंसाजी जाति सिरवी निवासी रानीकलां के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति० जिला कलक्टर, पाली

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 08.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली